[2022] 2 एस. सी. आर 795

नाहर सिंह

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 443)

16 मार्च, 2022

[वाइन सरन और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 164 , 190 (1) (ख) 209,319 मजिस्ट्रेट की किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति

एस के संदर्भ में एक पुलिस रिपोर्ट का आधार। 190 (1) (ख) सी. आर. पी. सी. किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन जारी करेगी जिसे पुलिस में आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया है।

रिपोर्ट और जिसका नाम ऐसी रिपोर्ट के कॉलम (2) में भी नहीं है-आयोजितः यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी सामग्री है जो अभियुक्त के रूप में आरोपित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता को दर्शाती है या

पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में किसी अपराध के लिए नामित मजिस्ट्रेट उस स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को भी समन भेज सकता है।

अपराध का संज्ञान लेना-एस के तहत दिया गया बयान। 164 इस उद्देश्य के लिए संहिता पर भी विचार किया जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. कोई भी अधिकारी शक्ति को सीमित या प्रतिबंधित नहीं करता है

या किसी अभियुक्त को संज्ञान लेने पर समन करने में मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय की अधिकारिता, जिसका नाम एफ. आई. आर. या पुलिस रिपोर्ट में नहीं हो सकता है। [पैरा 20] [812-डी]

धरम पाल और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और एक अन्य

(2014) 3 एस. सी. सी. 306 [2013] 13 एस. सी. आर. 1052; प्रदीप

सिंह बनाम। पंजाब और अन्य राज्य (2014) 3 एस. सी. सी. 92: [2014] 2 एस. सी. आर. 1; रघुबंस दुबे बनाम। बिहार राज्य

आकाशवाणी 1967 एससी 1167: [1967] 2 एस. सी. आर. 423-अनुसरण किया गया। 2. वर्तमान मामले में, अभियुक्त का नाम था

संहिता की धारा 164 के तहत पीड़ित द्वारा दिए गए बयान से हुआ। विषय-कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट ने वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक स्वतंत्र आवेदन के आधार पर कार्य किया। यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी सामग्री है जो अभियुक्त के रूप में आरोपित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता को दर्शाती है या

निष्कर्ष यह है कि पुलिस द्वारा भेजे गए लोगों के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति अपराध में शामिल हैं। इन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र या एफ. आई. आर. तक सीमित रहें। संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान पर भी इस उद्देश्य के लिए विचार किया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हुए, मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, जो था

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। [पैरा 21 और 22] [812-ई-एच; 813-ए-बी]

2 पूरक। एससीआर 125; किशुन सिंह और अन्य बनाम। की स्थिति बिहार (1993) 2 एससीसी 16: [1993] 1 एस. सी. आर. 31; निसार और

एक अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य (1995) 2 एस. सी. सी. 23: [1994] 5

पूरक। एस. सी. आर. 368; बलवीर सिंह और एक अन्य बनाम। की स्थिति

राजस्थान और एक अन्य (2016) 6 एस. सी. सी. 680 [2016] 2

एससीआर 504; पी. सी. गुलाटी बनाम लाज्या राम और अन्य आकाशवाणी

1966 एससी 595: [1966] 1 एस. सी. आर. 560-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 1 पूरक। एससीआर 527

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2013] 13 एससीआर 1052

पीछा किया।

पैरा 10

[2014] 2 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 13

[1996] 2 पूरक। एससीआर 125

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[1993] 1 एससीआर 31

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

[1994] 5 पूरक। एससीआर 368

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2016] 2 एससीआर 504

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[1967] 2 एससीआर 423

पीछा किया।

पैरा 16

[1966] 1 एससीआर 560

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 नाहर सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

443 2022 तक।

आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 14.05.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से। की लिखित याचिका सं. 11538

2015 .

एस. एन. झा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संतोष कुमार मिश्रा, सुश्री पप्पी झा, प्रेम प्रकाश, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

राजन कुमार चौरसिया, सर्वेश सिंह बघेल, अर्धेन्दुमाउली कुमार प्रसाद, अपूर्व कुरुप, प्रशांत सिंह, आशीष मदान, सुश्री. निधि मित्तल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. हम इस अपील में जिस प्रश्न पर ध्यान देंगे, वह यह है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संहिता) की धारा 190 (1) (बी) के संदर्भ में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को समन जारी कर सकता है जिसे पुलिस रिपोर्ट में आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया है और जिसका नाम भी ऐसी रिपोर्ट के कॉलम (2) में नहीं है। इस मामले में संबंधित व्यक्ति, अपीलार्थी होने के नाते, प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नामित नहीं था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 मई, 2015 को दिए गए फैसले में इस प्रश्न पर सकारात्मक राय दी है। यह फैसला हमारे समक्ष अपील के अधीन है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम),

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ने अपराधों का संज्ञान लिया था

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 8 अगस्त, 2012 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 संहिता) की धारा 363,366 और 376। ये सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण योग्य अपराध हैं। पुलिस रिपोर्ट में दो लोगों के नाम थे

अभियुक्त के रूप में व्यक्ति-योगेश और रूपा (प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) से निकली विभिन्न कार्यवाही में रूपा और रूपा के रूप में बाद वाले के नाम की वर्तनी का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया गया है)। पुलिस रिपोर्ट माँ द्वारा किए गए एफ. आई. आर. के आधार पर बनाई गई थी।

9 मई, 2012 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के उप-जिला शिकारपुर के पुलिस स्टेशन छतरी में एक महिला पीड़ित (अभियोजक)। इस एफ. आई. आर. में उसने कहा कि 4 मई, 2012 को उसकी नाबालिग बेटी को उक्त योगेश और उसके दो या तीन सहयोगियों ने लुभाया था। बाद में, एक्स-रे के आधार पर एक रेडियोलॉजिस्ट ने पाया कि वह लगभग 18 साल की उम्र की है। लेकिन पीड़ित की उम्र का मुद्दा इस अपील में शामिल विवाद में नहीं है।

3. जाँच अधिकारी ने 10 मई, 2012 को अभियोजक को बरामद किया। संहिता की धारा 161 के तहत उनका बयान 10 तारीख को दर्ज किया गया था स्वयं हो सकता है। अपने बयान में, उसने कहा कि योगेश ने उसके साथ बलात्कार किया था। इसके बाद पीड़िता को बुलंदशहर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान 14 मई, 2012 को दर्ज किया गया। उस बयान में उसने आरोपी रूपा, योगेश के नामों का भी खुलासा किया था।

इसमें अपीलार्थी-नाहर सिंह, उन व्यक्तियों के रूप में जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। उनका बयान, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया गया थाः

" यह 02.5.2012 की एक घटना है। दिन के 12 बज रहे थे। मैं उस समय बस स्टैंड पर खड़ा था। वहाँ दो व्यक्ति रूपा और योगीश खड़े थे। वे दोनों मुझे जबरदस्ती पहासू ले गए। वहाँ उन दोनों ने नाहर सिंह को फ़ोन किया। वह वहाँ एक वाहन लेकर आया और उन सभी ने मुझे उस चार पहिया वाहन में बिठाया और वहाँ से मुझे खुर्जा ले गए। बंद करने के बाद

गाड़ी में उन सभी ने बारी-बारी से मेरे साथ बलात्कार किया। इसके बाद, उन सभी ने शराब पी ली और मुझे पेप्सी में डालकर जबरन शराब पिलाई। फिर उन सभी ने मेरे साथ जबरन बलात्कार किया और मुझे धमकी दी कि अगर आप योगेश की पत्नी के रूप में नहीं रहेंगे तो हम आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे। इन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया और कपड़े पहन लिए।

चूड़ियों में, बिछिया और मेरी मांग भी भरी और मुझे वहाँ छोड़ दिया।

कामुना। मैं अपने पिता और माता के साथ जाना चाहता हूँ।

(बयान की प्रति से शब्दशः उद्धृत जैसा कि संलग्न किया गया है

पेपरबुक में)

4. संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उनके प्रारंभिक बयान में नाहर सिंह का नाम नहीं था। आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था

बाद में, जिसमें योगेश और रूपा को अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 8 अगस्त, 2012 को बुलंदशहर के सीजेएम ने इसका संज्ञान लिया।

अभियुक्त योगेश और रूपा के खिलाफ 1860 की संहिता की धारा 363,366 और 376 के तहत अपराध। वास्तविक शिकायतकर्ता, जिसके बाद पीड़ित की माँ होने के नाते उसने आपराधिक मामला संख्या 102/2012 में सी. जे. एम. की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें एक आदेश की आवश्यकता के लिए प्रार्थना की गई थी।

न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की उपस्थिति। इस आवेदन में अन्य बातों के साथ कहा गया थाः

" आरोपी योगेश और रूपा जिला जेल की न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपी नाहर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी नाहर सिंह ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार को कई बार नाहर सिंह बनाम को धमकी दी है।

कि वे उसके खिलाफ मामला वापस ले सकते हैं अन्यथा वह

उन्हें किसी भी झूठे मामले में फंसाइए। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने नाहर सिंह की गिरफ्तारी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके बाद, इस मामले की जांच पीएस से स्थानांतरित कर दी जाती हैः छतरी से पीएसः दिबाई। पीएस के जांच अधिकारीः दिबाई ने निष्पक्ष जांच नहीं की। आरोपी नाहर सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद आरोप पत्र जमा नहीं किया जाता है और नाहर सिंह का नाम हटा दिया जाता है, जबकि आरोपी रूपा और नाहर सिंह ने उसकी सहमति के खिलाफ XXXX के साथ बलात्कार का अपराध किया है, जैसा कि धारा 161 और 164 Cr.P.C के तहत दर्ज बयान से स्पष्ट है। मामले में आरोपी नाहर सिंह को बुलाने के लिए केस डायरी में पर्याप्त आधार हैं। शिकायतकर्ता और उसकी बेटी ने पीएस के आई. ओ. के सामने भी बयान दिया थाः नाहर सिंह द्वारा बलात्कार के अपराध के लिए दिबाई। धारा 190 Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार, अदालत अपराध के लिए संज्ञान लेती है न कि आरोपी के लिए।

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय ग्राम वान, पीएस के निवासी मेघ सिंह के पुत्र आरोपी नाहर सिंह के खिलाफ आदेश पारित करेः छतरी को अदालत में पेश होना है। मैं आभारी रहूंगा। आपके लिए "।

(आवेदन की प्रति से शब्दशः उद्धृत किया गया

पेपरबुक के साथ संलग्न। पीड़ित का नाम है

XXXX के साथ मुखौटा)

5. 7 नवंबर, 2012 को पारित एक आदेश में सीजेएम ने पाया कि अपीलार्थी को मुकदमे के लिए बुलाने का कोई आधार नहीं है और उक्त

आवेदन खारिज कर दिया गया। फाइल को प्रतिबद्धता के लिए 16 नवंबर, 2012 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ, वास्तविक शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायाधीश के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। उनका आवेदन आपराधिक संशोधन No.588/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया था और

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 1, बुलंदशहर के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 13 जनवरी, 2015 को पारित पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश से हमें पता चलता है कि इस मामले की जांच पुलिस स्टेशन छतरी के प्रथम जांच अधिकारी से पुलिस स्टेशन, दिबाई के प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार यादव को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार, पुलिस थाने में भी बदलाव किया गया। आरोप पत्र बाद वाले द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर संज्ञान लिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

, जाँच के प्रक्षेपवक्र को दिखाने वाली घटनाओं का क्रम

पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तरीके से आदेशितः

" शिकायतकर्ता की बेटी की बरामदगी के बाद आई. ओ. ने धारा 161 Cr.P.C के तहत 10.5.2012 पर उसका बयान दर्ज किया। उसका बयान जिसके बारे में उसने कहा है कि उसने उसे उकसाया और अपहरण कर लिया। इसके बाद, अपहृत व्यक्ति का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 Cr.P.C. के तहत 14.5.2012 पर दर्ज किया गया, जिसमें पीड़ित ने कहा कि योगीश के अलावा दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इस अपराध में रूपा और नाहर सिंह शामिल थे। जबकि

बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक, आरोपी नाहर सिंह ने 14.6.2012 पर छतरी पुलिस स्टेशन से दिबाई पुलिस स्टेशन को जांच हस्तांतरित कर दी और जांच आई. ओ. अशोक कुमार को सौंपी। उपरोक्त अशोक कुमार यादव, प्रभारी पुलिस थाना दिबाई के निरीक्षक ने जाँच के दौरान फिर से पीड़ित के बयान दर्ज किए, उसकी माँ श्रीमती। कमलेश, धारा 161 Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता और निष्कर्ष निकाला कि नाहर सिंह श्री का पुत्र है। गाँव वान के निवासी मेघ सिंह की XXXX के अपहरण में कोई भूमिका नहीं थी और न ही उसने उसके साथ बलात्कार जैसा कोई अपराध किया था। उसे शिकायतकर्ता और विरोधी पक्ष द्वारा फंसाया गया था।

और सह-अभियुक्त रूपा "। (पुनरीक्षण न्यायालय की प्रति से शब्दशः उद्धृत

निर्णय जैसा कि कागजी पुस्तिका के साथ संलग्न है। पीड़ित का नाम

xXXX के साथ मुखौटा किया गया है)

6. पुनरीक्षण न्यायालय ने नवंबर, 2012 को सी. जे. एम. द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा वास्तविक शिकायतकर्ता नाहर सिंह बनाम.

अस्वीकार कर दिया गया। मामला सीजेएम की अदालत में भेज दिया गया था और बाद वाले को पुनरीक्षण अदालत के फैसले में की गई टिप्पणियों को देखते हुए उक्त आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश में यह भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट को इस मामले में आरोपी नाहर सिंह को तलब करने के लिए एक वैध आदेश पारित करना चाहिए। यह आदेश 13 जनवरी, 2015 को पारित किया गया था।

7. इसके बाद, सीजेएम ने रिमांड पर मामले की सुनवाई की और 5 फरवरी 2015 को पारित एक आदेश में, नाहर सिंह (अपीलार्थी) को 21 फरवरी, 2015 को मुकदमे के लिए तलब करने का निर्देश दिया गया। सीजेएम के इस आदेश को अपीलार्थी ने पहले आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती दी थी

सत्र न्यायाधीश, बुलंदशहर। 20 अप्रैल, 2015 को दिए गए एक निर्णय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था। बर्खास्तगी के इस आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी ने सं. 11538/2015 वाली आपराधिक विविध रिट याचिका दायर करके इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य बिंदुओं के अलावा यह तर्क दिया गया था

संहिता की धारा 190 (1) (बी) के तहत सीजेएम द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग विषय मामले में अस्वीकार्य था। अपीलार्थी का मामला यह था कि चूंकि उसे आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, इसलिए उसे केवल संहिता की धारा 319 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बुलाया जा सकता था। इस तरह की दलीलें अपील के तहत फैसले में दर्ज की गई हैं।

संहिता की धारा 190 में कहा गया हैः

" 190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट और उप-धारा (2) के तहत इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट,

किसी भी अपराध का संज्ञान

(ए) तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो गठित करते हैं

इस तरह के अपराध;

ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

(ख)

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर

एक पुलिस अधिकारी की तुलना में, या उसकी अपनी जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।

ऐसे अपराधों की उप-धारा (1) के तहत संज्ञान लेने के लिए जो उसकी जांच करने की क्षमता के भीतर हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. 14 मई, 2015 को दी गई अपील के तहत दिए गए फैसले में उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपराध के सुस्थापित सिद्धांत को दोहराया।

न्यायशास्त्र कि मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान अपराध का है न कि अपराधी का। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में पता लगाए

जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाला सबूत प्राप्त करना, यह उनका कर्तव्य था कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ आगे बढ़ें व्यक्तियों को भी बुलाकर। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया थाः

कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ, मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है जिसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। प्रस्तुत नहीं किया गया है और जिनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कुछ सामग्री है। जाँच अभियुक्त व्यक्तियों के कहने पर स्थानांतरित की गई थी जिनके पास जाँच को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था। जब आगे की जाँच पर जाँच को दूसरे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया, तभी गवाहों से धारा 161 Cr.P.C के तहत फिर से पूछताछ की गई, जिसके अनुसार योगेश और रूपा के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। आई. पी. सी. की धारा 376 (जी) को भी धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज पीड़ित का बयान दर्ज करने के बाद जोड़ा गया था, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है, लेकिन जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए बयान को गंभीरता से नहीं दिखाया या कोई महत्व नहीं दिया और आवेदक को दोषमुक्त करने के लिए आगे बढ़े जो स्पष्ट रूप से श्री हर्ष द्वारा जांच किए जाने के तरीके को दर्शाता है।

वर्धन, के निर्देश पर जाँच अधिकारी

S.S.P.Bulandshahar। केवल यह तथ्य कि पीड़ित का बयान बाद में दर्ज किया गया था, बयान पर हावी नहीं होगा। धारा 164 Cr.P.C के तहत अभिलिखित। पीड़ित का इलाज नाहर सिंह बनाम नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

[अनिरुद्ध बोस, जे।]

संदेह या अस्वीकृत के साथ कि उसने धारा 161 Cr.P.C के तहत अपने बयान में आवेदक की संलिप्तता का खुलासा नहीं किया था।

(विवादित फैसले की प्रति से उद्धृत शब्दशः

जैसा कि पेपरबुक के साथ जोड़ा गया है)

9. जहां तक कानून के उस बिंदु का संबंध है जिसके साथ हम इस अपील में काम कर रहे हैं, विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था एस. डब्ल्यू. आई. एल. लिमिटेड बनाम एस. डब्ल्यू. आई. एल. लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ का निर्णय। दिल्ली राज्य और एक अन्य [(2001) 6 एस. सी. सी. 670]। इस निर्णय में तर्क दिया गया था कि संहिता की धारा 190 के तहत, एक बार

कुछ अभियुक्तों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की जाती है, मजिस्ट्रेट किसी अन्य अभियुक्त को प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है जिसके खिलाफ सामग्री हो सकती है

रिकॉर्ड करें। इस तरह के तर्क को खारिज कर दिया गया। इस मामले में समन्वय पीठ ने यह निर्णय दिया थाः

" 7. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के प्रावधानों को संदर्भित करने का कोई सवाल ही नहीं है। वह प्रावधान किसी अपराध की किसी भी जांच या मुकदमे के दौरान लागू होगा। वर्तमान मामले में न तो मजिस्ट्रेट जांच कर रहे थे

जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (छ) के तहत विचार किया गया था और न ही मुकदमा शुरू हुआ था। वह लेने की धारा 190 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था। अपराध का संज्ञान और जारी करने की प्रक्रिया। धारा 190 सी. आर. पी. सी. के तहत कोई रोक नहीं है कि एक बार प्रक्रिया जारी होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

कुछ अभियुक्त, अगली तारीख को, मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है जिसके खिलाफ कुछ सामग्री है।

रिकॉर्ड में है, लेकिन आरोप में उसका नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं है

चादर "।

10. इस मुद्दे पर इस न्यायालय की विभिन्न पीठों के विचारों में भिन्नता थी और अंततः इस मुद्दे को एक

धरम पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य [(2014) 3 एस. सी. सी. 305] के मामले में संविधान पीठ। इस निर्णय के अनुपात से निपटने से पहले, हम कानूनी विवाद की यात्रा का वर्णन करेंगे

वह चरण, जिसे संविधान पीठ द्वारा स्वयं धरम पाल (उपर्युक्त) के निर्णय में दर्ज किया गया हैः

" 1. इस मामले की सुनवाई शुरू में किशोर सिंह बनाम मामले में दो न्यायाधीश पीठों के फैसलों में मतभेद को देखते हुए तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा करने का निर्देश दिया गया था। बिहार राज्य,

[(2004) 13 एससीसी 11: (2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 275]; राजिंदर
[2022] 2 एस. सी. आर.

प्रसाद वी. बशीर [(2001) 8 एससीसी 522: 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 28] और एस. डब्ल्यू. आई. एल. लिमिटेड v. दिल्ली राज्य, [(2001) 6 एससीसी 670: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1205] जब मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार के लिए लिया गया था 1-12-2004 [धरम पाल बनाम। हरियाणा राज्य, (2004) 13 एससीसी 9: (2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 273], यह न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि दो अन्य निर्णयों में एक

निर्धारित किए जाने की मांग किए गए प्रश्न पर प्रत्यक्ष असर। पहला है किशुन सिंह बनाम। बिहार राज्य, [(1993) 2 एससीसी 16: 1993 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 470], और दूसरा तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है-रंजीत सिंह बनाम. पंजाब राज्य, [(1998) 7 एससीसी 149: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1554]

मामला [(1998) 7 एस. सी. सी. 149: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1554], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समर्पण के चरण से लेकर सत्र न्यायालय तक संहिता की धारा 230 में संकेत दिया गया है कि न्यायालय केवल संहिता की धारा 209 में निर्दिष्ट अभियुक्त के साथ ही व्यवहार कर सकता है और तब तक कोई मध्यस्थ स्तर नहीं है जो सत्र न्यायालय को किसी अन्य व्यक्ति को अभियुक्तों की श्रेणी में जोड़ने में सक्षम बनाता है।

4. तीन-न्यायाधीश पीठ [धरम पाल बनाम। हरियाणा राज्य, (2004) 13 एससीसी 9: (2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 273] ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इस तरह के निष्कर्ष का प्रभाव यह है कि अभियुक्त का नाम आरोप-पत्र के कॉलम 2 और जिसे मुकदमे के लिए नहीं रखा गया था, उस पर धारा के तहत सत्र न्यायाधीश द्वारा शक्ति का प्रयोग करके मुकदमा नहीं चलाया जा सका

193 संहिता की धारा 228 के साथ पढ़ें। दूसरे शब्दों में, तब भी जब सत्र न्यायालय ने आरोप तय करने के समय अपना दिमाग लगाया और उपलब्ध सामग्रियों से निष्कर्ष पर पहुंचा

अभिलेख पर कि, वास्तव में, उन लोगों के खिलाफ भी अपराध किया जाता है जिन्हें कॉलम 2 में दिखाया गया है, इसके खिलाफ आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

[अनिरुद्ध बोस, जे।]

यदि प्रस्तुत साक्ष्य से उनकी संलिप्तता भी स्थापित हो जाती है तो उन्हें मुकदमे में अभियुक्त के रूप में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने के लिए संहिता की धारा 319 के तहत मंच तक पहुंचने तक इंतजार करना पड़ता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य कम गंभीर अपराधों में, उसके पास कॉलम 2 में उल्लिखित लोगों के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति होगी, यदि वह

पुलिस रिपोर्ट से असहमत थे, लेकिन सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय गंभीर अपराधों के संबंध में, न्यायालय को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि

संहिता की धारा 319 के चरण तक पहुँच गया था।

5. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रंजीत सिंह मामले [(1998) 7 एस. सी. सी. 149 में व्यक्त किए गए विचारों से असहमति जताईः 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1554]

लेकिन रंजीत सिंह में व्यक्त किए गए विपरीत दृष्टिकोण के बाद से मामला [(1998) 7 एस. सी. सी. 149: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1554] लिया गया था।

तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, इस मामले की सुनवाई करने वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने दिनांक 1-12-2004 [धरम पाल बनाम। हरियाणा राज्य, (2004) 13 एस. सी. सी 9: (2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 273] ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

एक बड़ी बेंच "।

11. जिन प्रश्नों को उत्तर के लिए तैयार किया गया था

धरम पाल (ऊपर) के मामले में शीर्षक पीठ इस प्रकार थीः

" 7.1 . क्या पुलिस की रिपोर्ट से यह पता चलने पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, सत्र न्यायालय को मामला सौंपने के बाद कमिटिंग मजिस्ट्रेट की कोई अन्य भूमिका है?

7.2 . यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से असहमत है और है

यह मानते हुए कि रिपोर्ट के कॉलम 2 में रखे गए व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया था, क्या वह ऐसा करता है? उनके खिलाफ समन जारी करने का अधिकार क्षेत्र है ताकि उनके नाम, नफ़े सिंह के साथ, मुकदमे में खड़े होने के लिए शामिल किए जा सकें।

पुलिस रिपोर्ट में सामने आए मामले से संबंध?

7.3 . अपीलार्थियों के खिलाफ समन जारी करने का निर्णय लेने के बाद,

मजिस्ट्रेट को शिकायत की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है

इस तरह की प्रक्रिया का पालन किए बिना उनके खिलाफ?

7.4 . क्या सत्र न्यायाधीश धारा 193 के तहत समन जारी कर सकते हैं?

मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में सी. आर. पी. सी?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.5 . मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने पर, क्या सत्र न्यायाधीश संहिता की धारा 193 के तहत अलग से समन जारी कर सकता है या उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि संहिता की धारा 319 के तहत कदम नहीं उठाया जाता? 7.6 . क्या रंजीत सिंह मामला था [(1998) 7 एस. सी. सी. 149: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1554], जिसने किशुन सिंह मामले में निर्णय को दरकिनार कर दिया [(1993) 2 एस. सी. सी. 16: 1993 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 470], सही निर्णय लिया या नहीं?

12. जहाँ तक किसी स्थिति में मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के दायरे का संबंध है, यह संविधान पीठ द्वारा इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया था -

आम पाल (ऊपर):

" 35. हमारे विचार में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत उनके समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय को मामला सौंपते समय मजिस्ट्रेट की भूमिका है। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से असहमत है, तो उसके पास दो विकल्प हैं। वह एक विरोध याचिका के आधार पर कार्य कर सकता है जो दायर की जा सकती है, या वह पुलिस रिपोर्ट से असहमत होते हुए प्रक्रिया जारी कर सकता है और आरोपी को तलब कर सकता है। इसके बाद, यदि यह संतुष्ट होने पर कि रिपोर्ट के कॉलम 2 में नामित व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई मामला बनाया गया है, तो उक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ें या यदि वह संतुष्ट थे कि कोई मामला बनाया गया था जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, वह मामले में आगे बढ़ने के लिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप सकता है।

36. यह हमें तीसरे प्रश्न पर लाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में क्या वह संतुष्ट था कि अंतिम रिपोर्ट के बावजूद प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के लिए मामला बनाया गया था।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत। ऐसी स्थिति में, यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करता है, तो उसे पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा और या तो मामले की जांच करनी होगी या इसे सत्र न्यायालय को सौंपना होगा यदि सत्र न्यायालय द्वारा इसकी सुनवाई की जा सकती है।

13. हार्दीप सिंह के मामले में एक और संविधान पीठ

पंजाब और अन्य का भोजन [(2014) 3 एस. सी. सी. 92] ने धरम सुप्रा का अनुसरण किया। लिप सिंह (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ ने यह राय दी थीः

" 111. यहां तक कि धरम पाल (सी. बी.) [(2014) 3 एस. सी. सी. 306 में संविधान पीठः ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3018] ने अभिनिर्धारित किया है कि सत्र न्यायालय भी अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है और किसी व्यक्ति को नाहर सिंह बनाम के रूप में समन कर सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

[अनिरुद्ध बोस, जे।]

एक अभियुक्त यदि आरोप के कॉलम 2 में उसका नाम आता है

शीट, एक बार मामला इसके लिए प्रतिबद्ध किया गया था। इसका मतलब है कि ए

वह व्यक्ति जिसका नाम एफ़. आई. आर. या मामले में भी नहीं आता है आरोप पत्र या जिसका नाम एफ. आई. आर. में आता है और

आरोप पत्र के मुख्य भाग में नहीं बल्कि कॉलम 2 में

और के अभ्यास में एक आरोपी के रूप में तलब नहीं किया गया है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत शक्तियों को अभी भी तलब किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा, बशर्ते कि न्यायालय संतुष्ट हो कि उक्त वैधानिक प्रावधानों में दी गई शर्तें बनी हुई हैं।

पूरा हुआ "।

(जोर दिया गया)

14. इससे पहले, राज किशोर प्रसाद के मामले में एक समन्वित पीठ

बनाम बिहार राज्य और अन्य [(1996) 4 एस. सी. सी. 495] ने व्यक्त किया

यह विचार कि संहिता की धारा 209 के तहत एक नए अपराधी को बुलाने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास निहित नहीं थी। इस निर्णय में, किशन सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य [(1993) 2 एस. सी. सी. 16] और निसार और एक अन्य बनाम यू. पी. राज्य के मामलों में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता। [(1995) 2 एस. सी. सी. 23] पर संदेह था। बाद का निर्णय किशुन सिंह (ऊपर) के बाद आया। धरम पाल (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ ने किशुन सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की।

(ऊपर) और राज किशोर प्रसाद (ऊपर) को खारिज कर दिया। वास्तव में, बलवीर सिंह और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य [(2016) 6 एस. सी. सी. 680] के मामले में एक समन्वित पीठ ने दोनों का अनुसरण किया है। धरम पाल (ऊपर) और किशुन सिंह (ऊपर)। बाद के अधिकार (अर्थात, किशुन सिंह) में, अन्य बातों के साथ, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 13. तब सवाल यह है कि क्या धारा 319

संहिता, में किसी अन्य प्रावधान के लिए समान शक्ति का पता लगाया जा सकता है संहिता या ऐसी शक्ति संहिता की योजना से निहित की जा सकती है?

जिसे आपराधिक कानून को गति दी जा सकती है; संहिता की धारा 154 के तहत या पुलिस के साथ जानकारी

संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा के तहत संज्ञान लिया जा सकता है

190 (1) ((ख) संहिता। बाद के मामले में, मजिस्ट्रेट कर सकता है

या तो धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा जांच का आदेश दें।

संहिता या स्वयं [2022] 2 एस. सी. आर. से पहले धारा 202 के तहत जांच करती है।

धारा 190 (1) (ए) या (सी) के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए, जैसा भी मामला हो, संहिता की धारा 204 के साथ पढ़ें। एक बार

मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान लेता है जिसके लिए वह आगे बढ़ सकता है अपराधी पर मुकदमा चलाएँ (सिवाय इसके कि मामला कहाँ स्थानांतरित किया गया है)

धारा 191) या उसे संहिता की धारा 209 के तहत मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करें यदि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। जैसा कि पहले बताया गया है, अपराध का संज्ञान लिया जाता है और नहीं।

अपराधी। यह न्यायालय रघुबंस दुबे बनाम। की स्थिति बिहार [(1967) 2 एससीआर 423: आकाशवाणी 1967 एससी 1167: 1967 सी. आर. आई. एल. जे. 1081] ने कहा कि एक बार किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह यह पता लगाए कि अपराधी वास्तव में कौन हैं और अगर अदालत को पता चलता है कि पुलिस द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के अलावा

कुछ अन्य व्यक्ति शामिल हैं, यह उसका कर्तव्य है कि वह उन व्यक्तियों के खिलाफ 'उन्हें बुलाकर' आगे बढ़े क्योंकि अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाना किसी अपराध का संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही का हिस्सा है। वर्तमान संहिता लागू होने के बाद भी कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है; इसके विपरीत दुबे मामले [(1967) 2 एससीआर 423: एयर

1967 एससी 1167: 1967 क्री एल. जे. 1081] की पुष्टि हरेरम में की गई थी।

सत्पथी वी. टीकाराम अग्रवाल [(1978) 4 एस. सी. सी. 58: 1978 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 496: (1979) 1 एससीआर 349: ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1568] अब तक कोई कठिनाई नहीं है। "

15. वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में जहां तक कानून की स्थिति का सवाल है, दोनों संविधान पीठों की पीठों को किस आधार पर पेश किया गया था, इसमें अब तक अंतर है। धरम पाल (ऊपर) और लीप सिंह (ऊपर) के मामलों में, उन व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी किए गए थे जिनके नाम आरोप पत्र के कॉलम (2) में शामिल थे। ये दोनों

न्यायपालिका सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से भी निपटती है

संहिता की धारा 193। यह प्रावधान इस प्रकार हैः

" 193. सत्र न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान। इस संहिता या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, कोई भी सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि मामला किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए नहीं किया गया हो।

यह कोड "।

16. संहिता से यह प्रतीत होता है कि अधिकार लेने का अधिकार क्षेत्र धारा 193 के तहत मजिस्ट्रेट (उसकी धारा 190 के तहत) या सत्र न्यायालय में निहित किया गया है, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है।

जाहर सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

[अनिरुद्ध बोस, जे।]

धरम पाल (उपरोक्त) के मामले में प्रश्न की जांच की गई है।

इस बिंदु पर यह माना गया हैः

" 39. यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या धारा के तहत

209 , मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेना आवश्यक था सत्र न्यायालय में मामला प्रस्तुत करने से पहले। यह ठीक है।

यह तय किया कि किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है।

घटना में, एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है

और फिर मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देता है, अपराध का नए सिरे से संज्ञान लेने का सवाल और,

इसके बाद, समन जारी करने के लिए आगे बढ़ें, इसके अनुसार नहीं है

कानून के साथ। यदि अपराध का संज्ञान लिया जाना है, तो यह हो सकता है

मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा लिया जाए। संहिता की धारा 193 की भाषा बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करती है

कि एक बार मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है

विद्वान मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय मूल मानता है अधिकारिता और वह सब जो ऐसी अधिकारिता की धारणा के साथ जाता है।

इसलिए धारा 209 के प्रावधानों को समझना होगा।

के रूप में विद्वान मजिस्ट्रेट प्रतिबद्ध करने में एक निष्क्रिय भूमिका निभा रहे हैं

पुलिस रिपोर्ट से निष्कर्ष पर सत्र न्यायालय में मामला कि यह मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था। ऐसा भी नहीं हो सकता

मजिस्ट्रेट द्वारा आंशिक संज्ञान लिए जाने का कोई भी प्रश्न और विद्वत सत्र न्यायाधीश द्वारा आंशिक संज्ञान लिया जा रहा है।

(जोर दिया गया)

संज्ञान लेने में मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का दायरा

इससे पहले इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अपराध की जांच की गई थी।

ई. मामला रघुबंस दुबे बनाम बिहार राज्य [ए. आई. आर. 1967 एस. सी.

] . इस प्राधिकरण पर समन्वय पीठ द्वारा भरोसा किया गया था

किशुन सिंह (ऊपर)। 1898 की पुरानी संहिता के व्यापक रूप से समान प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया थाः

" 8. ..... हमारी राय में, एक बार संज्ञान लिया गया है

मजिस्ट्रेट, वह एक अपराध का संज्ञान लेता है न कि

अपराधी; एक बार जब वह किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो यह उसका कर्तव्य है कि

पता लगाएँ कि अपराधी वास्तव में कौन हैं और एक बार जब वह उसके पास आता है

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि पुलिस द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के अलावा कुछ

अन्य व्यक्ति शामिल हैं, यह उनका कर्तव्य है कि वे उनके खिलाफ कार्रवाई करें

लोग। अतिरिक्त अभियुक्त को तलब करना इसका हिस्सा है उसके द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने से शुरू की गई कार्यवाही। के रूप में

प्रवीण चंद्र मोदी बनाम में इस न्यायालय द्वारा इंगित किया गया।

आंध्र प्रदेश [(1965) 1 एस. सी. आर. 269] "शिकायत" शब्द में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप शामिल होंगे। यदि कोई मजिस्ट्रेट तथ्यों की शिकायत के आधार पर धारा 190 (1) (ए) के तहत संज्ञान लेता है तो वह संज्ञान लेगा और एक कार्यवाही शुरू की जाएगी, भले ही अपराध करने वाले व्यक्तियों का उस समय पता नहीं था। वही स्थिति प्रबल है,

हमारे विचार में, धारा 190 (1) (बी) के तहत। ”

17. किशुन सिंह (ऊपर) के मामले में, संहिता की धारा 193 के तहत सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे को समझाया गया था, 1898 के तहत समान प्रावधान से निपटने वाले प्राधिकरण पर भरोसा करना।

कोड (पी. सी. गुलाटी बनाम। लाज्या राम और अन्य (ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 595)। किशन सिंह (उपरोक्त) के फैसले में सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के निहितार्थ की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश "सीमित अर्थों में संज्ञान" था। रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में (किशन सिंह के मामले में) यह माना गया हैः " 8.पुरानी संहिता की धारा 193 ने सत्र न्यायालय पर मूल न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान लेने पर प्रतिबंध लगा दिया।

अधिकारिता जब तक कि अभियुक्त किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए प्रतिबद्ध न हो या संहिता या इसके विपरीत किसी अन्य कानून में स्पष्ट प्रावधान न हो। उक्त प्रावधान के संदर्भ में यह न्यायालय पी. सी. गुलाटी बनाम. एलआर.

कपूर [(1966) 1 एससीआर 560,568: आकाशवाणी 1966 एससी 595: 1966 सी. आर. आई. एल. जे. 465] को निम्नानुसार देखा गयाः

" जब कोई मामला सत्र न्यायालय को सौंपा जाता है, तो सत्र न्यायालय को पहले यह निर्धारित करना होता है कि क्या मामला सही है। यदि यह राय है कि प्रतिबद्धता एक पर खराब है

कानून की दृष्टि से, उसे मामले को उच्च न्यायालय को भेजना पड़ता है जो संहिता की धारा 215 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए सक्षम है।

यह तभी होता है जब सत्र न्यायालय प्रतिबद्धता को कानूनी रूप से अच्छा मानता है कि वह मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ता है। यह इस संदर्भ में है कि सत्र न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में अपराध का संज्ञान लेना है और यह एक ऐसा संज्ञान है जिसे संहिता की धारा 193 में संदर्भित किया गया है। "

18. सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध का संज्ञान लेने की मजिस्ट्रेट की अधिकारिता हमारे समक्ष विवाद में नहीं है। पुलिस रिपोर्ट जमा करने पर मजिस्ट्रेट के लिए खुले पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई है। धरम पाल (ऊपर) के मामले में। धरम पाल के मामले में रिपोर्ट के पैराग्राफ 39 में मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्ति या अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। हम इस फैसले में पहले भी इस अंश का हवाला दे चुके हैं।

नाहर सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

[अनिरुद्ध बोस, जे।]

19. जहाँ तक इस मामले का संबंध है, दूसरा अंतर उस तथ्यात्मक आधार के संबंध में है जिसके आधार पर संविधान पीठ का निर्णय

धरम पाल (ऊपर) और रघुबंस दुबे (ऊपर) के मामले में भी निर्णय दिया गया था कि इन दोनों मामलों में आरोपी के रूप में आरोपित व्यक्तियों के नाम आरोप पत्र के कॉलम (2) में सामने आए थे। यह कॉलम, जैसा कि रघुबंस दुबे (उपरोक्त) के मामले में फैसले से प्रतीत होता है, "नहीं भेजा गया" शीर्षक के तहत एक व्यक्ति का नाम दर्ज करता है। उस मामले में, संबंधित व्यक्ति का नाम एफ. आई. आर. में रखा गया था। लेकिन हमारी राय में, उस कारक को, एफ. आई. आर. में नामित नहीं किए गए और जिसका नाम भी आरोप पत्र में बिल्कुल नहीं है, उस अभियुक्त को समन नहीं भेजने के लिए अदालत के लिए एक कारण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ये निर्णय उन मामलों में दिए गए थे जहां व्यक्तियों के नाम पुलिस रिपोर्ट के कॉलम (2) में आरोपी के रूप में पेश होने की मांग की गई। हमारी राय में इस मुद्दे पर विचार करते समय निर्धारित कानूनी प्रस्ताव केवल उन व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति तक सीमित नहीं था, जिनके नाम आरोप पत्र के कॉलम (2) में शामिल थे। धरम पाल (उपर्युक्त) के मामले में, कॉलम (2) में नामित व्यक्तियों से संबंधित दूसरा बिंदु (पैरा 7.2) तैयार किया गया था, लेकिन संविधान पीठ के समक्ष मुद्दा केवल उस श्रेणी के व्यक्तियों से संबंधित था। यह है कानून की स्थिति

हरदिप सिंह (ऊपर) और रघुबंस के मामलों में वर्णित

दुबे (ऊपर)। बाद के प्राधिकरण में, किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले न्यायालय का कर्तव्य यह निर्धारित किया गया है कि "यह पता लगाने के लिए कि अपराधी वास्तव में कौन हैं और एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि व्यक्तियों के अलावा

पुलिस द्वारा भेजे गए कुछ अन्य व्यक्ति शामिल हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ना उसका कर्तव्य है। इसके विरुद्ध कार्यवाही करने का ऐसा कर्तव्य

अन्य व्यक्तियों को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है जिनके नाम आरोप पत्र के कॉलम (2) में हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि उपरोक्त अधिकारियों में आरोप पत्र के कॉलम (2) में नामित व्यक्तियों को तलब करने का सवाल शामिल था, हमारी राय में कॉलम (2) में शामिल करना पुलिस में आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को बुलाने के लिए निर्धारक कारक नहीं माना गया था।

इस श्रेणी के व्यक्तियों का सम्मान (यानी जिनके नाम कॉलम में हैं) (2) आरोप पत्र)।

20. रघुबंस दुबे (ऊपर), एस. डब्ल्यू. आई. एल. लिमिटेड (ऊपर) और धरम पाल (ऊपर) के मामलों में, न्यायालय या [2022] 2 एस. सी. आर. की शक्ति या अधिकारिता।

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट ने प्रतिबद्धता का विश्लेषण करने से पहले पुलिस रिपोर्ट में नामित नहीं किए गए आरोपी को तलब किया। इस मुद्दे पर एक समान दृष्टिकोण, इस तथ्य के बावजूद कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान लिया जाता है या सत्र न्यायालय द्वारा धारा 193 के तहत प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता यह है कि उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों को तब तक इंतजार नहीं करना होगा जब तक कि मामला उस स्तर तक नहीं पहुंच जाता जब तक कि संहिता की धारा 319 के तहत अधिकारिता प्राप्त करने में सक्षम हो।

किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है। हम पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं कि

समन जारी करने की अधिकारिता का प्रयोग उस व्यक्ति के संबंध में भी किया जा सकता है जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, चाहे वह अभियुक्त के रूप में हो या उसके कॉलम (2) में हो, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री है जो प्रथम दृष्टया उसे प्रकट करेगी।

अपराध में शामिल होना। समन भेजने में कोई भी अधिकारी मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय की शक्ति या अधिकार क्षेत्र को सीमित या प्रतिबंधित नहीं करता है।

संज्ञान लेने पर एक अभियुक्त, जिसका नाम एफ. आई. आर. या पुलिस रिपोर्ट में नहीं हो सकता है। 21. वर्तमान मामले में, आरोपी का नाम संहिता की धारा 164 के तहत पीड़ित द्वारा दिए गए बयान से निकला था।

धरम पाल (उपरोक्त) के मामले में, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से असहमत होने की स्थिति में, वह

एक विरोध याचिका के आधार पर कार्य करें जो दायर की जा सकती है और मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दें। मजिस्ट्रेट की यह शक्ति केवल उन व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग नहीं की जा सकती है जिनके नाम कॉलम में दिखाई देते हैं।

(2) आरोप-पत्र के अलावा, जिन्हें पुलिस रिपोर्ट में आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है। विषय-कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट ने वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक स्वतंत्र आवेदन के आधार पर कार्य किया। यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तियों की संलिप्तता दिखाने वाली सामग्री है अभियुक्त के रूप में अभियुक्त या अपराध करने में पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में नामित लोगों के अलावा, मजिस्ट्रेट उस स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को अपराध का संज्ञान लेने पर भी तलब कर सकता है। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, रघुबंस दुबे (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का यह दृष्टिकोण था। हालाँकि यह निर्णय 1898 की संहिता के प्रावधानों से संबंधित था, लेकिन इस अधिकार का पालन किशुन सिंह (उपरोक्त) के मामले में किया गया था। अपराध का संज्ञान लेने पर व्यक्तियों को बुलाने के लिए, मजिस्ट्रेट को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने सामने उपलब्ध सामग्री की जांच करनी होती है कि पुलिस द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति अपराध में शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के टी. ई. और ए. एन. आर.

डी. एच. ए. बोस जे. 1

ए पुलिस रिपोर्ट तक सीमित, आरोप ए

संहिता की धारा 164 के तहत बनाया गया

एन उद्देश्य।

वर्तमान मामले में, हमें कोई दर नहीं मिलती है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी।

अपील के तहत निर्णय।

बी.

एड और इस में पारित अंतरिम आदेश

, यदि कोई हो तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

याचिका खारिज कर दी गई।